गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय

ग्रेटर नौएडा, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश–201312

जी.बी.यू.–002/प्रशा./13.2/2026-924 दिनांकः 31|01|2026

::कार्यालय आदेश::

सक्षम स्तर से प्राप्त अनुमोदन के कम में विश्वविद्यालय में कार्यरत समस्त संकाय सदस्यों (फैकल्टी ऑन कॉन्ट्रैक्ट फॉर फिक्सड डयूरेशन) जिनकी नियुक्ति शैक्षिक सत्र 2025–26 के लिए हुई है एवं जिनके द्वारा विश्वविद्यालय परिसर में सत्र 2025–26 हेतु भवन आवंटन कराया गया है उन समस्त संकाय सदस्यों को सूचित किया जाता है उनको विश्वविद्यालय परिसर में आवंटित आवास को उनके Appointment letter पर अंकित contract की अन्तिम तिथि अथवा 31.05.2026 तक उक्त आवास को खाली किया जाना सुनिश्चित करें अन्यथा कि स्थिति में विश्वविद्यालय नियमानुसार **"सेवाएं समाप्त/त्याग पत्र/ स्थानान्तरण/मृत्यु की स्थिति में भवन 30 दिन के अन्दर खाली करना होगा। उक्त अवधि के पूर्ण होने के उपरान्त कर्मचारी के अनुरोध पर विशेष परिस्थितियों (मेडिकल/बच्चों की परीक्षा इत्यादि) में सक्षम स्तर से अनुमति के पश्चात निम्न अवधि व दरों पर अध्यासन अनुमन्य किया जा सकेगा।**

अवधि	किराया
01 माह	निर्धारित लाइसेंस फीस
01 माह के उपरान्त अग्रेत्तर 03 माह तक	बाजार दर पर
03 माह के उपरान्त अधिकतम 06 माह	बाजार दर का 1.5 गुणा किराया
06 माह से आगे	बाजार दर का 2 गुणा

एक माह की अवधि के पश्चात बिना अनुमति के अध्यासन को पूर्णतया अवैध मानते हुए बेदखली की कार्यवाही एवं सुसंगत विधिक/दंडात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। बाजार दर की गणना समय–समय पर ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत दरों के आधार पर की जाएगी।"

(प्रो0 चन्दर कुमार सिंह)
प्रभारी, कुलसचिव

प्रतिलिपिः

1. मा0 कुलपति महोदय के स्टॉफ को महोदय के संज्ञान में लाने हेतु।
2. कुलसचिव महोदय को सूचनार्थ।
3. डॉ संदीप सिंह राणा, सिस्टम मैनेजर, सैन्ट्रल कम्प्यूटर सेंटर को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर समस्त संकाय सदस्यों (फैकल्टी ऑन कॉन्ट्रैक्ट फॉर फिक्सड डयूरेशन) को सूचना अपलोड कराने हेतु।
4. सम्बन्धित पत्रावली।

CKSingh 31/01/26
प्रभारी, कुलसचिव

Scanned with OKEN Scanner